आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

समय: प्रातः 10:30 बजे

आवंटन/नीलामी स्थल : कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन), आफिस काम्प्लेक्स (भू-तल), केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (आवंटन द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी0 में	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रू0 लाख में)	पात्रता
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर			
दुर्बल आय वर्ग भवन 18/40 प्रकार (02 नग)			
6/118(SC), 9/55(GEN)	41.31 to 51.96	5.50 to 5.99	अपंजीकृत
अल्प आय वर्ग भवन 29/60 प्रकार (01 नग)			
8/499(GEN)	112.15	15.63	अपंजीकृत
मध्यम आय वर्ग भवन 75/127 प्रकार सेमी0फिनि0 (16 नग)			
1/198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246	127.50 to 129.30	20.63 to 20.81	पंजीकरण वर्ष 2010 के पात्रता चयनित आवेदक
मध्यम आय वर्ग भवन 53/127 प्रकार सेमी0फिनि0 (03 नग)			
9/182, 183, 184,	127.50 to 151.50	18.31 to 22.26	पंजीकरण वर्ष 2010 के पात्रता चयनित आवेदक
मध्यम आय वर्ग भवन 56/121 प्रकार सेमी0फिनि0 (14 नग)			
1/215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 3/1701, 1702, 1703	121.79 to 226.95	18.43 to 31.22	पंजीकरण वर्ष 2010 के पात्रता चयनित आवेदक
उच्च आय वर्ग भवन 106/162 प्रकार सेमी0फिनि0 (20 नग)			
1/124, 125, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 791, 792, 793, 794, 795, 796	162.00 to 207.36	25.54 to 32.20	पंजीकरण वर्ष 2010 के पात्रता चयनित आवेदक
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर			
दुर्बल आय वर्ग भवन 18/40 प्रकार (01 नग)			
3/674	94.87	7.60	अपंजीकृत
उरई रोड योजना, जालौन			
आश्रयहीन भूखण्ड (01 नग)			
2/56	42.00	3024.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्गमीटर तक (29 नग)			
4756, 4758, 4752, 4753, 4757, 4760, 4762, 4763, 4764, 4766, 4767, 4807, 4808, 4809, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827	149.60 to 164.00	9520.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत
आवासीय भूखण्ड 170 वर्गमीटर से अधिक (05 नग)			
4828, 4751, 4470/2, 5246, 5248	180.00 to 396.00	9520.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर			
मिनी मध्यम आय वर्ग 45/75 प्रकार का भवन (03 नग)			
6/14(Gen),6/129/27(Gen),6/129/29(OBC)	75.00 to 238.80	11.60 to 28.72	अपंजीकृत
मध्यम आय वर्ग 42/108 प्रकार का भवन (02 नग)			
6/162 (OBC), 6/468 (Gen)	174.19 to 184.45	22.00 to 23.00	अपंजीकृत
मध्यम आय वर्ग 68/142 प्रकार का भवन (01 नग)			
4/617 (OBC)	144.27	21.35	अपंजीकृत
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर			
उच्च आय वर्ग भवन 97/242 प्रकार (04 नग)			
A-2366, 2367, 2368, 2369	242.00 to 244.53	27.03 to 27.23	अपंजीकृत
मध्यम आय वर्ग भवन 42/108 प्रकार (02 नग)			
5E-116, 203	108.50 to 110.36	12.76 to 12.90	अपंजीकृत
मध्यम आय वर्ग भवन 53/127 प्रकार (03 नग)			
A-2270, 2275, 2276	127.50 to 183.00	14.85 to 20.50	अपंजीकृत
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्गमीटर तक (09 नग)			
5G-150, 152, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 3/477/139	81.00 to 170.00	7616.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत
आवासीय भूखण्ड 170 वर्गमीटर से अधिक (12 नग)			
6A-680, 3B-173, 3B-233/2, 5G-149, 151, 163, 3D-545/1, 3/477/137, B-1554, 1544, 7/36, 7/97	171.00 to 302.81	7616.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव			
मध्यम आय वर्ग भवन 53/127 प्रकार (01 नग)			
C-74	182.10	12.118	अपंजीकृत
उरई रोड योजना, जालौन			
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्गमीटर तक (01 नग)			
2/117	162.00	3024.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत

अलोकप्रिय सम्पत्तियाँ (मूल मूल्यांकन पर) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर			
अल्प आय वर्ग 18/60 प्रकार के भवन (01 नग)			
5B-239	140.60	12.22	अपंजीकृत

नोट:- (1) केशवपुरम योजना संख्या-1 व अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर में प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेन्ट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (2) प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1,5,1 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्डों हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर. व अनुमन्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकानें एवं कियास्क) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रू0 लाख में)
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर		
दुकानें (28 नग)		
S-01©, S-02 to S-10	14.42 to 14.97	11.45 to 11.78
SH-03 to SH-20	18.073 to 22.668	11.47 to 13.63
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव		
दुकानें (12 नग)		
S-6 to S-17	9.74 to 10.21	4.943 to 5.182
कियास्क (02 नग)		
K-1, K-2	7.455	3.494

व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर	
व्यवसायिक भूखण्ड (95 नग)	
GC-32©, GC-34 to GC-38, GC-39©, GC-40©, GC-41 to GC-51, GC-54 to GC-59, GC-70, GC-86	127.50 to 240.07
H/CP-1 to H/CP-8	135.00 to 187.92
JC-1©	1308.13
J/COM-2©, J/COM-3, J/COM-4, J/COM-5©, J/COM-6©, J/COM-7 to J/COM-13, J/COM-14© to J/COM-16©	360.00 to 739.00
L/COM-16©, L/COM-17 to 19, L/COM-20©, L/COM-21©, L/COM-22 to 25, L/COM-26©, L/COM-32 to 38	450.00 to 498.00
M/COM-31, M/COM-32©, M/COM-33 to 40, M/COM-41©	450.00 to 615.00
N/COM-1 (OBC), N/COM-2 (OBC), N/COM-3 (SC), N/COM-4© (GEN), N/COM-5© (GEN)	457.94 to 840.65
CP-0/1©, CP-0/2, CP-0/3, CP-0/4©, CP-0/4/1©, CP-0/4/2 to CP-0/4/6	493.00 to 702.00
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 22400.00 से 24640.00, एफ0ए0आर0 1.20, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% एवं अधिकतम ऊँचाई 9.60 से 12.50 मीटर है।	
प्रीमियम भूखण्ड (11 नग)	
L/PR-16©, L/PR-40©	386.40 to 458.84
M/PR-12©, M/PR-55©, M/PR-56©, M/PR-57 to M/PR-59, M/PR-61©,M/PR-62©	303.875 to 786.500
N/PH-39© (SC)	555.22
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 16800.00 से 18480.00, एफ0ए0आर0 1.20 से 1.50, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40 से 55% एवं अधिकतम ऊँचाई 10.00 मीटर है।	
संस्थागत भूखण्ड (10 नग)	
Sec-I/A©, Sec-I/B, Sec-I/C©	1545.00 to 1800.00
Sec. M-1©, Sec. M-2 to Sec. M-5, Sec. M-6©	997.50 to 2585.00
G/INS-1	1953.00
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 16800.00 से 18480.00, सेक्टर-एम की सम्पत्तियों की एफ0ए0आर0 1.50, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 35% एवं अधिकतम ऊँचाई 15.00 मीटर है।	

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर	
व्यवसायिक भूखण्ड (59 नग)	
1/COM-1/8 to 1/COM-1/18, 1/COM-1/20 to 1/COM-1/22, 1/COM-1/26 to 1/COM-1/31	450.00
3/COM-1/1©, 3/COM-1/2, 3/COM-1/3, 3/COM-1/5 to 3/COM-1/8, 3/COM-1/9©, 3/COM-1/10©, 3/COM-1/11 3/COM-1/13 to 3/COM-1/16, 3/COM-1/17©, 3/COM-1/18©, 3/COM-1/19 to 3/COM-1/26, 3/COM-1/27©	300.00 to 692.71
6/COM.1/3 to 6/COM.1/5, 6/COM.1/6©	420.00 to 606.00
7/COM-1/3©, 7/COM-1/4©, 7/COM-1/5 to 7/COM-1/11, 7/COM-1/12©	450.00 to 1879.20
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 20160.00 से 22176.00, एफ0ए0आर0 1.20 से 2.00, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% से 55% एवं अधिकतम ऊँचाई 10.00 से 12.50 मीटर है।	
प्रीमियम भूखण्ड (50 नग)	
1/PR-1(Gen)©, 1/PR-2(Gen), 1/PR-3 (SC), 1/PR-4(OBC)	330.00 to 477.40
3/PR-1©,3/PR-2, 3/PR-5 to 3/PR-7, 3/PR-8©, 3/PR-9©, 3/PR-10 to 3/PR-12, 3/PR-13©, 3/PR-14©, 3/PR-15, 3/PR-17 to 3/PR-20, 3/PR-21©, 3/PR-22©, 3/PR-23 to 3/PR-26, 3/PR-27©	330.00 to 1130.04
8/PR-1©, 8/PR-2 to 8/PR-8, 8/PR-9©, 8/PR-10©, 8/PR-11 to 8/PR-14, 8/PR-15©	450.00 to 540.00
9/PR-1©, 9/PR-2 to 9/PR-6, 9/PR-7©	450.00 to 600.00
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 15120.00 से 16632.00, एफ0ए0आर0 1.20 से 2.00, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% से 55% एवं अधिकतम ऊँचाई 10.00 से 12.50 मीटर है।	
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर	
व्यवसायिक भूखण्ड (22 नग)	
C/C-1(c), C/C-2	201.60
6A-CP-2(c)	225.00
B-1/4 to B-1/8, B-1/9(c), B-1/10(c), B-1/11 to B-1/17, B-1/18(c)	45.00 to 63.00
7/CP-2(SC), 7/CP-3(GEN), 7/CP-4(OBC)	450.00
1A-8©	204.75
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 15232.00 से 16756.00 है।	
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)	
1A©, 1B©	839.12 to 1805.00
5G©, 5H©	834.75 to 1627.50
उपरोक्त सम्पत्तियों में आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 7480.00 है।	
लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़	
संस्थागत भूखण्ड (01 नग)	
BS/S-5©	3062.00
उपरोक्त सम्पत्ति में आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रू. लाख में) 8686.00 है।	

© चिन्ह कार्नर की सम्पत्ति का द्योतक है।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:- योजना/शहर का नाम........... सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल............ आरक्षित मूल्य .... टोकन के रूप में बयाना धनराशि रू0 .... बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक .... आवेदक का नाम .... पिता/ पति का नाम .... आरक्षण श्रेणी .... (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) .... पत्र व्यवहार का पता .... दूरभाष/ मोबाइल नम्बर .... ई-मेल आई0डी0 .... दिनांक/ स्थल/ नाम- पिता/ पति का नाम-संस्थान/ फर्म/ कम्पनी का नाम .... पूरा पता ......।

सील्ड बिड का प्रारूप:- (1) योजना/शहर का नाम .... (2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल ....(3) आरक्षित मूल्य ....(4) उच्चतम मूल्य .... (5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रू0 ....(6) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक एवं बैंक का नाम .... (7) आवेदक का नाम .... (8) पिता/ पति/ फर्म/ कम्पनी/ संस्था का नाम .... (9) आरक्षण .... (यदि देय है, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें).........(10) पत्र व्यवहार का पता .... (11) दूरभाष/ मोबाइल नं0 .... ई-मेल आई0डी0 ....

घोषणा (आवेदन एवं सील्ड बिड दोनों के साथ आवश्यक):- (1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, ''जैसी है, जहाँ है'' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मेरे, मेरे पति/ पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम...... संबंधित शहर में कोई भवन/ भूखण्ड नहीं है एवं उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/ भूखण्ड नहीं हैं। (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की वर्ष 2010-11 की समस्त स्त्रोतों से आय रू0....... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य है। तिथि...... स्थान...... आवेदक के हस्ताक्षर...............

नियम व शर्तें :- (1) आवेदन/ सील्ड बिड फार्म संबंधित शहर/ योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/ जोन कार्यालय से भी रू0 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सील्ड बिड/ आफर अंकित करते हुए रू0 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/ सील्ड बिड फार्म कार्यालय से अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/ जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। जिन सम्पत्तियों में कार्नर शुल्क नहीं जोड़ा गया है, उनमें कार्नर शुल्क पृथक से लिया जायेगा। डाक से भी सील्ड बिड भेजी जा सकती है, जो नीलामी की तिथि से एक दिन (कार्यदिवस) से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिये अन्यथा विचार नहीं किया जायेगा। (3) आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्डबिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है, उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2012 तथा सील्ड बिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5.00 बजे तक निम्नलिखित पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) अपूर्ण तथा कटेफटे एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। (8) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में ''जहाँ है, जैसी है'' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (9) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/ विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (10) आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिये तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये। (11) एक आवेदक के एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/ भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। (12) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाईट www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (13) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सील्ड बिड फार्म प्राप्त करने के पते निम्नलिखित हैं:- (1) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स, केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर (2) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 5 सी-101-104, योजना संख्या-2, हंसपुरम, हमीरपुर रोड, कानपुर (3) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, योजना संख्या-1, औरैया (5) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, एस-5 एवं 6, चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव (6) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, तालपुरा योजना, झाँसी (7) कार्यालय उप आवास आयुक्त (कानपुर जोन), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स (भूतल), केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर।